न्यायालय विशेष न्यायाधीश एस.सी./एस.टी.(पी.ए.) एक्ट, हरदोई।

विशेष परिवाद संख्या– 453/2017

श्रीमती सावित्री बनाम अरविन्द कुमार आदि

दिनांक 17.07.2018

पत्रावली पेश हुई।

परिवादिनी के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

परिवादिनी ने अपने प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 156(3) दं.प्र.सं. में उल्लेख किया है कि प्रार्थिनी एक बहुत ही सीधी सादी एवं गरीब दलित (धोबी) महिला है तथा विपक्षीगण बहुत ही दबंग तथा जाति के कुर्मी (पिछड़ा वर्ग) हैं तथा बहुत ही गुण्डा किस्म के हैं। इस कारण विपक्षीगण अक्सर जाति सूचक गालियां देते हुए प्रार्थिनी व उसके परिवार को जान से मार डालने की धमकी देते हैं और एलानियां कहते हैं कि धोबिया तुम्हारी आबादी वाली जमीन को जबरदस्ती कब्जा करके तुम लोगों को जान से मार डालेंगे। दि. 20.04.2017 को समय करीब 8 बजे दिन में विपक्षीगण एकराय होकर आ गये और प्रार्थिनी की आबादी वाली जमीन पर गड़े हुए खूंटे तोड़कर कब्जा करने लगे, जब विपक्षीगण को प्रार्थिनी ने कब्जा करने से मना किया तो विपक्षीगण एकराय होकर प्रार्थिनी को लात–घूसों से मारने लगे। प्रार्थिनी के शोर पर मौके पर रामविलास व रामसागर आदि आ गये, उन्होंने विपक्षीगण को ललकारा तो विपक्षीगण प्रार्थिनी को जान से मार डालने की धमकी देते हुए भाग गये। प्रार्थिनी को उक्त विपक्षीगण से जान व माल का खतरा है। किसी भी समय हत्या जैसी घटना हो सकती है। उक्त घटना की रिपोर्ट दर्ज करने हेतु प्रार्थिनी ने एक प्रार्थनापत्र थाना माधौगंज तथा एक प्रार्थनापत्र एस.डी.एम. बिलग्राम तथा एक प्रार्थनापत्र क्षेत्राधिकारी बिलग्राम को दिया तथा अन्य उच्चाधिकारियों को भी प्रार्थनापत्र दिये, किन्तु कोई कार्यवाही नहीं हुई।

परिवादिनी के प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 156(3) दं.प्र.सं. को परिवाद के रूप में दर्ज किया गया तथा परिवादिनी का बयान अंतर्गत धारा 200 दं.प्र.सं. एवं परिवादिनी द्वारा प्रस्तुत गवाहान रामसागर एवं रामविलास का बयान अंतर्गत धारा 202 दं.प्र.सं. अंकित किया गया।

परिवादिनी को सुना गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का परिशीलन किया गया।

परिवादिनी ने अपने बयान अंतर्गत धारा–200 दं.प्र.सं. में कथन किया है कि करीब सात महीने पहले सुबह के 8 बजे का समय था, उनके जानवर पूर्वजों के समय से घर के बाहर ग्राम समाज की आबादी की भूमि पर बंधते चले आ रहे हैं। उस दिन भी जानवर बंधे थे, तभी अरविन्द, अरूण, विपिन, शालू उसे मारने लगे व खूंटे तोड़ने लगे। कह रहे थे कि कब्जा करेंगे, जब उसने मना किया तो उसे लात घूसों से मारा। उसके चिल्लाने पर रामविलास, रामसागर व गांव के अन्य व्यक्ति आ गये थे। विपक्षीगण गंदी–गंदी गालियां व जान से मारने की धमकी दे रहे थे।

परिवादिनी की ओर से परीक्षित साक्षी पी.डब्लू.–1 रामसागर द्वारा अपने बयान अंतर्गत धारा–202 दं.प्र.सं. में कथन किया गया है कि दि. 30.04.2017 को सुबह 8 बजे के लगभग

विपक्षीगण अरविन्द कुमार, अरूण कुमार व विपिन कुमार व सालू एकराय होकर सावित्री की आबादी वाली जमीन पर गड़े हुए खूंटे तोड़कर कब्जा करने लगे। जब उक्त विपक्षीगण को सावित्री ने कब्जा करने से मना किया तो विपक्षीगण एकराय होकर सावित्री को लात घूसों से मारने लगे। सावित्री के चिल्लाने पर वह तथा रामविलास व तमाम लोग आ गए, जब इन लोगों ने विपक्षीगण को ललकारा तो विपक्षीगण सावित्री को गंदी –गंदी गालियां देते हुए जान से मारने की धमकी व जाति सूचक शब्द कहते हुए चले गये।

परिवादिनी की ओर से परीक्षित साक्षी पी.डब्लू.–2 रामविलास, जो कि परिवादिनी का पति है, के द्वारा अपने बयान अंतर्गत धारा–202 दं.प्र.सं. में कथन किया गया है कि घटना दिनांक 20.04.2017 की है। समय लगभग 8 बजे सुबह का था। विपक्षीगण एकराय होकर उसकी आबादी की जमीन को कब्जा करने लगे। जब उसकी पत्नी ने कब्जा करने से मना किया, तब चारां लोग उसकी पत्नी को लात घूसों से मारा था और जाति सूचक गालियां धोबिन साली कहकर गंदी–गंदी मां बहन की गालियां दी। मौके पर वह, रामसागर तथा अन्य लोग पहुॅच गये तो विपक्षीगण जान माल की धमकी देते हुए चले गये।

इस प्रकार परिवादिनी के साक्ष्य अंतर्गत धारा 200 दं.प्र.सं. एवं परिवादिनी द्वारा प्रस्तुत साक्षीगण के साक्ष्य अंतर्गत धारा 202 दं.प्र.सं. में घटना के दिनांक, समय व स्थान तथा घटना के घटित होने के प्रकार के सम्बंध में कोई विरोधाभास नहीं है। ऐसी स्थिति में परिवादिनी के बयान अंतर्गत धारा 200 दं.प्र.सं. के आधार पर अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा– 323, 504, 506 भा.द.सं. एवं धारा 3(1)आर अनु.जाति और अनु.जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम का प्रथम दृष्टया मामला बनता प्रतीत होता है, जिस कारण अभियुक्तगण विचारण हेतु तलब किये जाने योग्य हैं।

आदेश

अभियुक्तगण अरविन्द कुमार, अरूण कुमार, विपिन कुमार एवं सालू को धारा 323, 504, 506 भा.द.सं. एवं धारा 3(1)आर अनु.जाति और अनु.जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के अन्तर्गत विचारण हेतु तलब किया जाता है। परिवादिनी पैरवी तीन दिन के अंदर करते हुए गवाहों की लिस्ट दाखिल करे, साथ ही अभियुक्तगण के समन के साथ परिवादपत्र की प्रतियां भी दाखिल करे। अभियुक्तगण के विरूद्ध समन कार्यालय लिपिक जारी करना सुनिश्चित करे।

पत्रावली वास्ते हाजिरी अभियुक्तगण दिनांक 27.08.2018 को पेश हो।

(जय प्रकाश पाण्डेय)
विशेष न्यायाधीश, एस.सी./एस.टी.
(पी.ए.) एक्ट हरदोई।
17.07.2018